

बिहार सरकार,  
कृषि विभाग

पत्र संख्या: पी0पी0एम0-41/2012 - 4462 /कृ0, पटना दिनांक 31-12-2018

प्रेषक,

रवीन्द्र नाथ राय,  
विशेष सचिव।

सेवा में,

महालेखाकार, बिहार,  
बीरचन्द्र पटेल पथ, पटना।

#अनौपचारिक रूप  
से परामर्शित

#द्वारा - वित्त विभाग।

विषय -

डॉ० राजेन्द्र प्रसाद केन्द्रीय कृषि विश्वविद्यालय, पूसा, समस्तीपुर के क्षेत्राधिकार में कार्यरत तिरहुत कृषि महाविद्यालय, ढोली/मत्स्यकी महाविद्यालय, ढोली एवं कृषि अभियंत्रण महाविद्यालय, पूसा में स्नातक स्तर पर नामांकित बिहार के निवासी छात्रों को स्टाइपेंड भुगतान हेतु वित्तीय वर्ष 2018-19 में 79.14 लाख रु० की स्वीकृति तथा इसके अधीन बजट उपबंध की सीमा में तत्काल 76.44 लाख (छिहत्तर लाख चौवालीस हजार) रु० सहायक अनुदान की निकासी एवं व्यय की स्वीकृति।

आदेश : स्वीकृत।

निदेशानुसार कृषि विभागीय राज्यादेश संख्या- 4495 दिनांक 29.08.2012 तथा कृषि विभागीय राज्यादेश संख्या- 2990 दिनांक 12.06.2013, कृषि विभागीय संकल्प संख्या 18 दिनांक 06.01.2017 एवं कृषि विभागीय संकल्प संख्या- 63 दिनांक: 04.01.2018 के आलोक में डॉ० राजेन्द्र प्रसाद केन्द्रीय कृषि विश्वविद्यालय, पूसा, समस्तीपुर के क्षेत्राधिकार में कार्यरत तिरहुत कृषि महाविद्यालय, ढोली/मत्स्यकी महाविद्यालय, ढोली एवं कृषि अभियंत्रण महाविद्यालय, पूसा में स्नातक स्तर पर नामांकित बिहार के निवासी छात्रों को स्टाइपेंड भुगतान हेतु वित्तीय वर्ष 2018-19 में 79.14 लाख रु० की स्वीकृति तथा इसके अधीन बजट उपबंध की सीमा में तत्काल 76.44 लाख (छिहत्तर लाख चौवालीस हजार) रु० सहायक अनुदान की निकासी एवं व्यय की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

2. वित्तीय वर्ष 2018-19 हेतु डॉ० राजेन्द्र प्रसाद केन्द्रीय कृषि विश्वविद्यालय, पूसा के सम्बद्ध महाविद्यालय के लिए अधियाचित राशि के अनुसार महाविद्यालयवार स्वीकृत राशि का विवरण निम्न प्रकार है,

क्र० सं०	महाविद्यालय का नाम	वर्ष 2018-19 में स्वीकृत राशि (लाख रु० में)			
		सामान्य	अनुसूचित जाति	अनुसूचित जनजाति	योग
1.	तिरहुत कृषि महाविद्यालय, ढोली	27.90	6.00	3.30	37.20
2.	मत्स्यकी महाविद्यालय, ढोली	15.30	2.10	-	17.40
3.	कृषि अभियंत्रण महाविद्यालय, पूसा	19.56	3.48	1.50	24.54
	<b>कुल</b>	<b>62.76</b>	<b>11.58</b>	<b>4.80</b>	<b>79.14</b>

3. उक्त योजना के संबंध में पूर्व में निर्धारित शर्तें यथावत रहेंगी। योजना कार्यान्वयन के संबंध में यथा आवश्यक संशोधन प्रशासी विभाग द्वारा किया जा सकता है।

4. उक्त योजनान्तर्गत कुल स्वीकृत राशि के निकासी एवं व्यय से संबंधित बजट शीर्ष तथा उपबंधित राशि का विवरण निम्न प्रकार है (राशि लाख रू० में)

बजट शीर्ष	उपबंधित राशि	तत्काल निकासी हेतु स्वीकृत राशि
मुख्य शीर्ष "2415 कृषि अनुसंधान तथा शिक्षा- उपमुख्य शीर्ष-01-फसल कृषि कर्म लघु शीर्ष 277-शिक्षा माँग संख्या-01 उप शीर्ष 0101- राजेन्द्र कृषि विश्वविद्यालय को अनुदान विपत्र कोड 01-2415012770101, विषय शीर्ष 0101.31.06 सहायक अनुदान- गैर वेतन"	174.30	62.76
मुख्य शीर्ष "2415 कृषि अनुसंधान तथा शिक्षा- उपमुख्य शीर्ष-01-फसल कृषि कर्म लघु शीर्ष 789-अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना, माँग संख्या-01 उप शीर्ष 0105- राजेन्द्र कृषि विश्वविद्यालय को अनुदान विपत्र कोड 01-2415017890105, विषय शीर्ष 0105.31.06 सहायक अनुदान- गैर वेतन"	33.60	11.58
मुख्य शीर्ष "2415 कृषि अनुसंधान तथा शिक्षा- उपमुख्य शीर्ष-01-फसल कृषि कर्म लघु शीर्ष 796-जनजातीय क्षेत्र उप योजना, माँग संख्या-01 उप शीर्ष 0108- राजेन्द्र कृषि विश्वविद्यालय को अनुदान विपत्र कोड 01-2415017960108, विषय शीर्ष 0108.31.06 सहायक अनुदान- गैर वेतन"	2.10	2.10
<b>कुल</b>	<b>210.00</b>	<b>76.44</b>

5. स्वीकृत राशि 76.44 लाख रूपये (छिहत्तर लाख चौवालीस हजार रूपये) की निकासी मुख्य लेखा पदाधिकारी, कृषि विभाग, सचिवालय कोषागार, विकास भवन, पटना से करेंगे एवं बैंक ड्राफ्ट के माध्यम से नियंत्रक, डॉ० राजेन्द्र प्रसाद केन्द्रीय कृषि विश्वविद्यालय, पूसा, समस्तीपुर को उक्त स्वीकृत राशि उपलब्ध करायेंगे। विश्वविद्यालय द्वारा संबंधित महाविद्यालय को राशि विमुक्त की जायेगी। विमुक्त राशि के विरुद्ध यदि कोई ब्याज आहरित होता है, इसका उपयोग उन्हीं कार्यों के लिए किया जायेगा, जो राज्य सरकार से स्वीकृत है।

6. अनुसूचित जनजाति के छात्रों के लिए 4.80 लाख रू० स्वीकृत किये गये हैं परन्तु बजट उपबंध की सीमा में तत्काल 2.10 लाख रू० के निकासी की स्वीकृति प्रदान की गयी है। शेष 2.70 लाख रू० का आवंटन बजट उपबंध प्राप्त करने के पश्चात किया जा सकेगा तथा बजट उपबंध के आधार पर अवशेष राशि की निकासी की जा सकेगी।

7. अनुदान के रूप में स्वीकृत राशि की निकासी बी०टी०सी० फार्म-42 पर की जायेगी, जिसके साथ डॉ० राजेन्द्र प्रसाद केन्द्रीय कृषि विश्वविद्यालय से पूर्व प्राप्ति रसीद संलग्न की जायेगी। विपत्र में योजना का स्पष्ट रूप से उल्लेख किया जायेगा। डॉ० राजेन्द्र प्रसाद केन्द्रीय कृषि विश्वविद्यालय द्वारा उपयोगिता प्रमाण पत्र कृषि विभाग को उपलब्ध करायी जायेगी।

8. वित्त विभाग के संकल्प संख्या-3758/वि० दिनांक 31.05.17 में निहित प्रावधान के आलोक में उक्त योजना का वर्ष 2018-19 में कार्यान्वयन हेतु माननीय मंत्री, कृषि की स्वीकृति संचिका संख्या पी०पी०एम०-41/2012 के पृ०सं०- 142/टि० पर प्राप्त है।

9. वित्त विभागीय परिपत्र संख्या-7355 वि० (2) दिनांक 05.10.2007 के आलोक में महालेखाकार, बिहार, पटना से प्राधिकार पत्र की आवश्यकता नहीं है।

10. राज्यादेश में आन्तरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति संचिका संख्या पी०पी०एम०-41/2012 के पृ०सं०- 147/टि० पर दिनांक- 20.12.2018 को प्राप्त है।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,


*Rohinda*

28.12.18


(रवीन्द्र नाथ राय)

विशेष सचिव।


ज्ञापांक- पी0पी0एम0-41/2012 - 4462 /कृ0, पटना दिनांक 31-12-, 2018  
प्रतिलिपि : सचिव, कृषि अनुसंधान एवं शिक्षा विभाग, कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय,  
भारत सरकार, कृषि भवन, नई दिल्ली को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

  
28.12.18  
विशेष सचिव।


ज्ञापांक- पी0पी0एम0-41/2012 - 4462 /कृ0, पटना दिनांक 31-12-, 2018  
प्रतिलिपि:- योजना एवं विकास विभाग/वित्त विभाग एवं मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग,  
बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

  
28.12.18  
विशेष सचिव।


ज्ञापांक- पी0पी0एम0-41/2012 - 4462 /कृ0, पटना दिनांक 31-12-, 2018  
प्रतिलिपि:- कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार, विकास भवन, पटना को सूचनार्थ  
एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

  
28.12.18  
विशेष सचिव।

ज्ञापांक- पी0पी0एम0-41/2012 - 4462 /कृ0, पटना दिनांक 31-12-, 2018  
प्रतिलिपि- उप सचिव, मुख्यमंत्री सचिवालय, पटना/ कृषि मंत्री के आप्त सचिव/कृषि  
उत्पादन आयुक्त के प्रधान आप्त सचिव/प्रधान सचिव, कृषि के आप्त सचिव, बिहार, पटना/कृषि  
निदेशक, बिहार, पटना/निदेशक, उद्यान, बिहार, पटना/बजट एवं योजना शाखा (सचिवालय एवं  
निदेशालय) कृषि विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित तथा उप  
निदेशक शष्य (सूचना), बिहार, पटना को विभाग के वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

  
28.12.18  
विशेष सचिव।

ज्ञापांक- पी0पी0एम0-41/2012 - 4462 /कृ0, पटना दिनांक 31-12-, 2018  
प्रतिलिपि:- कुलपति, डॉ० राजेन्द्र प्रसाद केन्द्रीय कृषि विश्वविद्यालय, पूसा,  
समस्तीपुर/ नियंत्रक, डॉ० राजेन्द्र प्रसाद केन्द्रीय कृषि विश्वविद्यालय, पूसा, समस्तीपुर/प्राचार्य,  
तिरहुत कृषि महाविद्यालय, ढोली/मत्स्यकी महाविद्यालय, ढोली/कृषि अभियंत्रण महाविद्यालय,  
पूसा/प्रधान सचिव, कल्याण विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

  
28.12.18  
विशेष सचिव।

